"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 मई 2016—वैशाख 23, शक 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती पंचशीला नागवंशी ध. प. स्व. हीरालाल नागवंशी, आयु 52 वर्ष, निवासी-न्यू कृष्णानगर सुपेला भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पुत्र रविशंकर नागवंशी के शैक्षणिक संबंधित प्रमाण पत्र/अंकसूचियों में मेरा नाम अर्थात् माताजी का नाम शीला बाई लिखा गया है जो त्रुटिपूर्ण है. मेरा सही नाम पंचशीला नागवंशी है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती पंचशीला नागवंशी रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती पंचशीला नागवंशी ध. प. स्व. हीरालाल नागवंशी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
शीला बाई ध. प. स्व. हीरालाल नागवंशी निवासी-न्यू कृष्णानगर सुपेला भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	पंचशीला नागवंशी (Panchsheela Nagwanshi) ध. प. स्व. हीरालाल नागवंशी निवासी-न्यू कृष्णानगर सुपेला भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, परवेजुद्दीन (Pervezuddin) आत्मज श्री नजमुद्दीन, उम्र 29 वर्ष, निवासी-हड्डी गोदाम के पास, कृष्णा नगर, वार्ड क्र. 5, सुपेला, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों में मेरा नाम परवेज अख्तर आ. नजमुद्दीन दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम परवेजुद्दीन रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे परवेजुद्दीन आ. श्री नजमुद्दीन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

परवेज अख्तर (Pervez Akhtar)
आ. श्री नजमुद्दीन
निवासी- हड्डी गोदाम के पास, कृष्णा नगर,
वार्ड क्र. 5, सुपेला, भिलाई,
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

परवेजुद्दीन (Pervezuddin)
आ. श्री नजमुद्दीन
निवासी- हड्डी गोदाम के पास, कृष्णा नगर,
वार्ड क्र. 5, सुपेला, भिलाई,
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, करन काशीपुरी पिता श्री भारत लाल काशीपुरी, जाति पनिका, उम्र 23 वर्ष, निवासी-ग्राम कोदवाही, तहसील मरवाही, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा नाम खेलन राम काशीपुरी है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम करन काशीपुरी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे करन काशीपुरी पिता श्री भारत लाल काशीपुरी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

खेलन राम काशीपुरी
आत्मज श्री भारत लाल काशीपुरी
निवासी- ग्राम कोदवाही (बड़ेरा बहरा)
पो. आ. सिलपहरी, थाना मरवाही
तहसील मरवाही, जिला बिलासपुर (छ. ग.)

नया नाम

करन काशीपुरी
आत्मज श्री भारत लाल काशीपुरी
निवासी- ग्राम कोदवाही (बड़ेरा बहरा)
पो. आ. सिलपहरी, थाना मरवाही
तहसील मरवाही, जिला बिलासपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शतीश कुमार पिता श्री दुर्योधन लाल यदु, निवासी - ग्राम कन्हार गांव पो. एवं तहसील भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त रिकार्ड में मेरा नाम शतीश कुमार दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ सरनेम "यदु" जोड़कर नया नाम शतीश कुमार यदु रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे शतीश कुमार यदु पिता श्री दुर्योधन लाल यदु के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

शतीश कुमार (Shatish Kumar)
पिता श्री दुर्योधन लाल यदु
निवासी- ग्राम कन्हार गांव, पो. एवं तहसील भानुप्रतापपुर
जिला कांकेर (छ. ग.) पिन 494669

नया नाम

शतीश कुमार यदु (Shatish Kumar Yadu)
पिता श्री दुर्योधन लाल यदु
निवासी- ग्राम कन्हार गांव, पो. एवं तहसील भानुप्रतापपुर
जिला कांकेर (छ. ग.) पिन 494669

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, फिरोज खान वल्द स्व. डी. एन. सेन गुप्ता, उम्र 52 वर्ष, निवासी-मलिका मंजिल, गणेश डेयरी के पीछे, अरपा रोड, गुरुनानक चौक तोरवा बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूं यह कि मेरे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के सेवा संबंधी अभिलेखों में मेरा नाम जयदीप कुमार सेन गुप्ता वल्द स्व. डी. एन. सेन गुप्ता दर्ज है एवं प्रयुक्त होते चला आ रहा है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम फिरोज खान रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र पेश कर दिया हूं.

अत: अब मुझे फिरोज खान वल्द स्व. डी. एन. सेन गुप्ता के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

जयदीप कुमार सेन गुप्ता
वल्द स्व. डी. एन. सेन गुप्ता
निवासी- गुरूनानक चौक तोरवा बिलासपुर
तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.)

नया नाम

फिरोज खान
वल्द स्व. डी. एन. सेन गुप्ता
निवासी- गुरूनानक चौक तोरवा बिलासपुर
तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विपिन्दा कापड़े आत्मज श्री चरणदास कापड़े, उम्र 44 साल, निवासी-शितला नगर, वार्ड क्र. 5, गली नं. 5, आंगन बाड़ी के पास दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सर्विस रिकार्ड एवं स्कूल रिकार्ड में मेरा नाम विपिन्दा पिता श्री चरणदास लिखा हुआ है. मैं अपने नाम के साथ सरनेम "कापड़े" जोड़कर अपना नया नाम विपिन्दा कापड़े रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे विपिन्दा कापड़े पिता श्री चरणदास कापड़े के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
विपिन्दा पिता श्री चरणदास निवासी- शितला नगर, वार्ड क्र. 5, गली नं. 5, आंगन बाड़ी के पास दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	विपिन्दा कापड़े पिता श्री चरणदास कापड़े निवासी- शितला नगर, वार्ड क्र. 5, गली नं. 5, आंगन बाड़ी के पास दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 7 जनवरी 2016

फार्म-4 नियम देखिये

[लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1962 के नियम (1) के अन्तर्गत]

क्रमांक/14/लो. न्या./अ. वि. अ./वा.2.— आवेदक राजेश कुमार गुप्ता पिता स्व. रामनारायण गुप्ता, मुकेश कुमार गुप्ता पिता स्व. रामनारायण गुप्ता, रितेश कुमार गुप्ता पिता स्व. रामनारायण गुप्ता, अभिलाष गुप्ता पिता स्व. राजेश गुप्ता चारो निवासी कृष्णा नगर, जूनाबिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर, छ. ग., श्याम लाल पिता स्व. शोभाराम गुप्ता निवासी राजकिशोर नगर, बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर छ. ग., विद्याप्रसाद गुप्ता पिता नंदकिशोर गुप्ता, रेवती रमण गुप्ता पिता नंदकिशोर गुप्ता दोनों निवासी ग्राम गुडी, तहसील मस्तूरी, जिला बिलासपुर छ. ग., श्रीमती रजनी गुप्ता पिता रामनारायण गुप्ता, निवासी जूनाबिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर छ. ग., श्रीमती सुशीला गुप्ता पति स्व. रामनारायण गुप्ता निवासी कृष्णा नगर जूनाबिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर, छ. ग. न्यासीगण ने "श्री रामजी चन्द्र जी का मंदिर धार्मिक न्यास ", ग्राम लगरा, तहसील व जिला बिलासपुर, छ. ग. को लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत लोक न्यास के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा विचार में लिया जावेगा. इस संबंध में कोई भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट में हित रखता है और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता है तो लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर स्वयं या अपने अभिभावक के माध्यम से या अभिकर्त्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	"श्री राम चन्द्र जी का मंदिर धार्मिक न्यास" ग्राम लगरा, तहसील व जिला बिलासपुर, छ. ग.
(2)	चल संपत्ति	:	25000.00 रुपये नगद
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

क्यू. ए. खान,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर छ. ग.

बिलासपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2016

क्रमांक /परिसमापन./पुर्नजीवित/2016/1507 .—घरौदा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर पं. क्र. 227 दिनांक 10-06-2005, विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर को पुर्नजीवित किये जाने हेतु परिसमापक श्री अरूण कुमार शर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा द्वारा पुर्नजीवित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. संस्था को पुर्नजीवित किया जाकर सोसायटी अधिनियम/नियम एवं पंजीकृत उपविधि तथा समय-समय पर शासन द्वारा बनाये गये नियमों के तहत् कार्य करने का निर्णय लिया गया है सदस्यों के हित में परिसमापक श्री अरूण कुमार शर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा, के प्रतिवेदन से मैं सहमत हूं.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (4) के तहत घरौदा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर पं. क्र. 227 दिनांक 10-06-2005, विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर को पुर्नजीवित करता हूं एवं आगामी 03 माह तक संस्था के कार्यकारिणी के कार्य संचालक हेतु तात्कालिन संचालक मण्डल को अधिकृत करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28-4-2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

डी. आर. ठाकुर,
उप पंजीयक,

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.